न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 31 / 2020

प्रार्थीगण–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
1. भोमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 2. चतरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 3. नखतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 4. बलवन्तसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 5. गवरी देवी पत्नी अर्जुनसिंह जातियान पुरोहित निवासीयान बीसूकला तहसील शिव जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित नियम 24कक(2) राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 ।

उपस्थिति :–

1. श्री रामस्वरूप भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 02.08.2021

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 5 रकबा 103–08 बीघा किस्म बारानी सोयम तथा खसरा नंबर 13 रकबा 88–16 बीघा किस्म बारानी दोयम ग्राम बीसू कला तहसील शिव में आये हुये हैं। प्रार्थीगण का पक्का व पुख्ता परिसर खेत खसरा नंबर 103 / 13 में 4200 वर्गफीट स्थित है तथा उक्त परिसर का कुछ भाग पूर्व से पश्चिम [illegible] व उत्तर से दक्षित 70 फीट कुल क्षेत्रफल 5600 वर्गफ[illegible] मुमकिन ओरण में निर्मित है। प्रार्थीगण ने उक्त निर्माण बिना [illegible] के करीब 13–1[illegible] पूर्व कराया जाना प्रकट किया एवं इस परिसर [illegible] बदले अपने खातेदा[illegible] खेत खसरा नंबर 103 / 13 रकबा 44–08 बीघा में से राज्य सरकार के पक्ष में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:00 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर
बाड़मेर

भूमि विनिमय कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित नियम 24कक(2) राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया एवं विवादित भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई।

3. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 5 रकबा 103–08 बीघा किस्म बारानी सोयम तथा खसरा नंबर 13 रकबा 88–16 बीघा किस्म बारानी दोयम ग्राम बीसू कला तहसील शिव में आये हुये हैं। प्रार्थीगण का पक्का व पुख्ता परिसर खेत खसरा नंबर 103/13 में 4200 वर्गफीट स्थित है तथा उक्त परिसर का कुछ भाग पूर्व से पश्चिम 80 फीट व उत्तर से दक्षित 70 फीट कुल क्षेत्रफल 5600 वर्गफीट है जो खसरा नंबर 12 गैर मुमकिन ओरण में निर्मित है। प्रार्थीगण ने उक्त निर्माण बिना पैमाईश के करीब 13–14 वर्ष पूर्व कराया जाना प्रकट किया एवं इस परिसर के बदले अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 103/13 रकबा 44–08 बीघा में से राज्य सरकार के पक्ष में भूमि विनिमय किया जाना न्यायाहित में उचित है। प्रार्थीगण द्वारा सरकारी भूमि पर बदनियती एवं जानबूझकर कब्जा एवं निर्माण नहीं किया गया है बल्कि अनजाने में अपने खातेदारी के खेत का हिस्सा मानकर आवासीय निर्माण किया गया है। प्रार्थीगण अपनी स्वेच्छा से उक्त सरकारी भूमि के बदले खातेदारी भूमि राज्य सरकार को विनिमय करना चाहते हैं जिस हेतु यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अनुमति प्रदान करने का श्रम करावें।

4. अप्रार्थी तहसीलदार शिव द्वारा जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थीगण का पक्का मकान मौजा बीसू कला में आया हुआ है जिसका आधा हिस्सा उनके खातेदारी खेत खसरा नंबर 103/13 रकबा 44–08 बीघा एवं आधा हिस्सा उससे लगती हुई खसरा नंबर 12 रकबा 149–16 बीघा गैर मुमकिन ओरण भूमि में आया हुआ है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। उक्त गैर मुमकिन ओरण भूमि में से पूर्व में [illegible] विभाग एवं आवंटन किये हुये हैं किन्तु ओरण की भूमि प्रतिबंधित [illegible] आती है। प्रार्थीगण ओरण भूमि पर बने मकान के [illegible] का विनिमय कराना चाहते हैं। राज्य सरकार [illegible] विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(8)राज/2020 दिनांक 29.07.2020 द्वारा [illegible] मुमकिन ओरण भूमि को वन भूमि माना गया है अतः गैर मुमकिन ओरण किस्म की भूमि के आवंटन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

विचार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

5. हमने प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा सद्भावनापूर्वक अपने खातेदारी खेत में आवासीय मकान का निर्माण कराया गया है किन्तु पैमाईश के अभाव में उक्त निर्माण का आधा हिस्सा गैर मुमकिन ओरण भूमि में आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने मकान निर्माण पर जो राशि व्यय की गई है उसका पुनः प्रबंध करना संभव नहीं है ऐसे में ओरण भूमि के बदले खातेदारी भूमि विनिमय करना चाहते हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 29.07.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 टी एन गोदावरमन थिरूमुलपद बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 07.03.2018 के द्वारा ओरण भूमियों को वन भूमि की श्रेणी में रखा गया है ऐसे में प्रार्थीगण द्वारा आवेदित विनिमय अन्तर्गत भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की होने से अनुज्ञेय नहीं है ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:00 IST
Reason: SelfAttested